संख्या-53/15-11-2004-1499(41)/2004

रा-1979
1-3-04

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) निदेशक,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2004

विषय:- परीक्षा नियामक प्राधिकारी के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 का पत्रांक-रा0शै0/18150/2003-2004, दिनांक 8-1-2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने तात्कालिक प्रभाव से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यों को अधिक प्रभावी बनाते हुए अधिक प्राधिकार दिये जाने और व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय को परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 के रूप में गठित किये जाने की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यालयाध्यक्ष सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 के नाम से जाना जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय को परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 के नाम से जाना जायेगा तथा इसे रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं के कार्यालय में ही स्थापित रखा जायेगा।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद की भांति सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन का पूर्ण दायित्व होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी निम्नांकित चार सदस्यीय समिति के माध्यम से अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगी:-

(क) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 -अध्यक्ष

(ख) प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद -सदस्य

(ग) प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान(निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा -सदस्य

(घ) रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उ०प्र० -सदस्य सचिव।

(5) परीक्षा नियामक प्राधिकारी को किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं उसे क्रियान्वित कराने का अधिकार होगा। परीक्षा की तिथियों को निर्धारित करना, परीक्षा केन्द्रों को अन्तिम रूप देना, केन्द्र व्यवस्थापकों तथा कक्ष निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में निर्देश देना, निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन, उनका मूल्यांकन, परीक्षाफल को तैयार तथा परीक्षाफल को घोषित करना (प्रवेश परीक्षा/मुख्य परीक्षा) और आदेशानुसार प्रवेश एवं अपेक्षित अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों के निर्गत करने से सम्बन्धित निर्णय उक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

(6) प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता को बनाये रखते हुए प्रश्न-पत्रों के संरचना, उनका मुद्रण, परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाने आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही का उत्तरदायित्व सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० का होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से सभी अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ कर दें और इस सम्बन्ध में शासन को भी सूचित किया जाय।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
सचिव
बेसिक शिक्षा।

संख्या-53(1)/15-11-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।